Kameshwar Prasad Singh.
Section Officer.
Section - of
Deptt. of P&A.R. Bihar, Patna.
KS 56

(70)

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़ 1927 (श०)
(सं० पटना 348) पटना, बुधवार 13 जुलाई 2005

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

12 जुलाई 2005

सं० 1112—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005

भाग-I

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएं।-जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ-

(क) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ख) 'सरकार के आदेश' से अभिप्रेत है भारत संविधान के अनुच्छेद 166 के अन्तर्गत निर्मित कार्यपालिका नियमावली में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पारित कार्यपालक आदेश;

(ग) 'परिवीक्षाधीन (व्यक्ति)' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो परिवीक्षा पर किसी सेवा में नियुक्त है;

(घ) 'सिविल सेवा संवर्ग' से अभिप्रेत है राज्य की सिविल सेवाओं के सभी वर्ग तथा इसमें बिहार राज्य सरकार के अधीन सभी अन्य समान संवर्गीय अथवा गैर संवर्गीय पद भी सम्मिलित हैं;

'पद' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार की सेवा के अधीन कोई भी पद;

(ङ) किसी सरकारी सेवक के संबंध में 'नियुक्त प्राधिकार' से अभिप्रेत है-

(*i*) वह प्राधिकार जो उस सेवा में नियुक्ति करने के लिये सक्षम हो जिसका वह सरकारी सेवक तत्समय एक सदस्य है, अथवा

(ii) वह प्राधिकार जो उस पद पर नियुक्ति करने के लिये सक्षम हो जिसे वह सरकारी सेवक तत्समय धारण करता है, अथवा

(iii) वह प्राधिकार जो, यथास्थिति, ऐसी सेवा, कोटि या पद पर सरकारी सेवक की नियुक्ति किया हो, अथवा

(iv) जहाँ सरकारी सेवक किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य होते हुए अथवा कोई अन्य स्थायी पद मौलिक रूप से धारण करते हुए सरकार के सतत नियोजन में रहा हो, वहां वह प्राधिकार जो, उसे उस सेवा में या उस सेवा के किसी कोटि में या उस पद पर नियुक्त किया हो ।

(च) किसी सेवा के संबंध में 'संवर्ग प्राधिकार' से वही अभिप्रेत होगा जो उस सेवा को विनियमित करनेवाली नियमावली में हो;

(छ) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(ज) ''बिहार सरकार के विभाग'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट कोई विभाग;

(झ) किसी संवर्ग-विशेष की नियमावली में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय ''अनुशासनिक प्राधिकार'' से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार, जो नियम-14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को सरकारी सेवक पर अधिरोपित करने के लिये इस नियमावली के अधीन सक्षम होंगे;

(ञ) ''सरकारी सेवक'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो-

(i) राज्य के अधीन किसी सेवा का सदस्य है अथवा सिविल पद धारण करता है और उसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जो वाह्य सेवा में हो अथवा जिसकी सेवा सरकार अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार को अस्थायी रूप से सौंपी गयी हो;

(ii) सरकार के अधीन किसी सेवा का सदस्य हो अथवा सिविल पद धारण करता हो और जिसकी सेवा संघ सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार को अस्थायी रूप से सौंपी गयी हो;

(ट) नियुक्ति, अनुशासनिक, अपीलीय या पुनरीक्षणकर्त्ता प्राधिकार के रूप में शक्तियों के प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ ''विभागाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकार, जिसे बिहार सेवा संहिता के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया हो;

(ठ) नियुक्ति, अनुशासनिक, अपीलीय या पुनरीक्षणकर्त्ता प्राधिकार के रूप में शक्तियों के प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ ''कार्यालय

प्रधान'' से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकार जिसे कार्यालय प्रधान के रूप में घोषित किया गया हो;

(ड) ''सचिव'' से अभिप्रेत है किसी विभाग में सरकार का सचिव;

(ढ़) ''सेवा'' से अभिप्रेत है राज्य की सिविल सेवा;

(ण) ''वैध नोटिस'' से अभिप्रेत है सिविल प्रोसिड्योर कोर्ट एवं जेनरल क्लाउजेज एक्ट के अधीन प्रावधानित नोटिस ।

3. नियमावली का लागू होना ।-(1)यह नियमावली, निम्नलिखित को छोड़कर, सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी;

(क) अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य;

(ख) आकस्मिक नियोजन में किसी व्यक्ति;

(ग) एक माह की अवधि से भी कम समय की सूचना पर सेवोन्मुक्ति के अधीन किसी व्यक्ति;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसके लिये इस नियमावली से आच्छादित मामलों के संबंध में विशेष उपबंध तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या के अधीन अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या बाद सरकार के पूर्वानुमोदन से, विशेष उपबंधों से आच्छादित मामलों के संबंध में किये गये किसी समझौते के अन्तर्गत किया जाता है ।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के आदेश द्वारा, किसी वर्ग के सरकारी सेवक को इस नियमावली के किसी नियम या नियमों के उसके विरूद्ध प्रवर्त्तन से अपवर्जित किया जा सकेगा ।

(3) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह नियमावली उप-नियम (1) के (घ) में आनेवाली सिविल सेवा या पद में अस्थायी रूप में स्थानान्तरित प्रत्येक सरकारी सेवक पर लागू होगी ।

(4) यदि इस नियमावली के प्रावधानों के संबंध में कोई शंका उठती है तो मामला सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लिये निर्देशित किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

भाग II
वर्गीकरण

4. सिविल सेवाओं का वर्गीकरण ।-(1)राज्य की सिविल सेवाओं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जायेगा:-

(i) समूह - क

(ii) समूह - ख

(iii) समूह - ग

(iv) समूह - घ

5. सिविल सेवाओं का गठन ।- सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सिविल सेवाओं को समूह- क, समूह- ख, समूह- ग और समूह- घ में गठित किया जायेगा ।

6. पदों का वर्गीकरण ।-राज्य के अधीन सभी सिविल पदों को सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जायेगा:-

i) समूह - क
ii) समूह - ख
iii) समूह - ग
iv) समूह - घ

स्पष्टीकरण- इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पहले लागू सभी नियमावलियों, आदेशों, परिशिष्टों, अधिसूचनाओं, विनियमावलियों,अनुदेशों एवं सभी निदेशों में प्रयुक्त सिविल सेवाओं/पदों के समूह- क, समूह- ख, समूह- ग और समूह- घ के लिये निर्देशों से अभिप्रेत सिविल सेवा/सिविल पद के कमशः समूह- क, समूह- ख, समूह- ग और समूह- घ के लिये निर्देश से होगा ।

भाग III
नियुक्ति प्राधिकार

7. सिविल सेवाओं में समूह-क एवं समूह-ख के पदों पर नियुक्ति ।-सिविल सेवा के समूह- क एवं समूह- ख के पदों पर सभी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जायेंगी;

परन्तु सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और उन शर्तों के अध्यधीन जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी नियुक्तियाँ करने की शक्ति किसी अन्य प्राधिकार को प्रदत्त कर सकेगी ।

8. दूसरी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ ।- समूह- ग और समूह- घ के पदों पर सभी नियुक्तियाँ, सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट प्राधिकारों द्वारा की जायेगी ।

भाग- IV
निलम्बन

9. निलम्बन का आदेश ।-(1) नियुक्ति प्राधिकार या ऐसा कोई भी प्राधिकार जिसका नियुक्ति प्राधिकार अधीनस्थ हो या अनुशासनिक प्राधिकार या सरकार

के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार किसी सरकारी सेवक को निलंबित कर सकेगा जब-

(क) सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जानी हो या लंबित हो, अथवा

(ख) उपर्युक्त प्राधिकार की राय में सरकारी सेवक राज्य की सुरक्षा-हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले कियाकलाप में संलिप्त हो, अथवा

(ग) सरकारी सेवक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन हो और सक्षम प्राधिकार का यह समाधान हो गया हो कि लोकहित में सरकारी सेवक को निलंबित करना समीचीन है ।

(2) कोई सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकार के किसी आदेश द्वारा निम्नलिखित तिथि के प्रभाव से निलंबित किया गया समझा जायेगा जब-

(क) उसके कारा-निरोध की तिथि से, यदि वह या तो आपराधिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालिस घंटों से अधिक अवधि के लिये, अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो;

(ख) उसकी दोषसिद्धि की तिथि से, यदि किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि की दशा में उसे अड़तालिस घंटों से अधिक की कारावास की अवधि से दंडादिष्ट किया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप उसे तत्काल सेवाच्युत या बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किया गया हो ।

व्याख्या-इस उप-नियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालिस घंटों की अवधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी और इस प्रयोजनार्थ कारावास की अन्तर्विरामी कालावधियाँ, यदि कोई हो, परिगणित की जायेंगी ।

(3) (i) उप नियम (2) के अधीन कारावास अवधि के बाद सरकारी सेवक द्वारा योगदान किये जाने पर निलंबित समझे जाने की अवधि समाप्त समझी जायेगी और योगदान स्वीकार किया जायेगा ।

(ii) यदि उप नियम (1) (क) या (ख) या (ग) के अधीन सरकारी सेवक को पुनः निलंबित करने का कोई निर्णय लिया जाता है तो ऐसी कार्रवाई उपर्युक्त खंड (i) के अनुसार योगदान स्वीकार करने के बाद ही एवं अलग से आदेश निर्गत कर की जा सकेगी ।

(4) जहाँ निलम्बनाधीन सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति इस नियमावली के अधीन अपील या पुनरीक्षण में निरस्त कर दी जाती है और मामले को अगली जॉच या कार्रवाई या कोई अन्य निदेश के साथ विप्रेषित कर दी जाती है, वहां उसके निलम्बन का आदेश सेवाच्युति, बर्खास्तगी

या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि को एवं लगातार प्रवृत्त समझा जायेगा तथा अगले आदेश तक प्रवृत्त रहेगा ।

(5) जहाँ सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा निरस्त कर दी जाती है या के परिणामस्वरूप शून्य घोषित होती हैं या शून्य हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार किये बिना मात्र तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो, सरकारी सेवक के विरूद्ध ऐसे आरोपों, जिन पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्त की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गयी थी, की पुनः जांच करने का विनिश्चय करता है वहां सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निलंबित किया हुआ समझा जायेगा और अगले आदेश तक निलम्बनाधीन रहेगा ।

(6) (क) इस नियम के अधीन किया गया अथवा किया हुआ समझा गया कोई निलम्बनादेश तबतक प्रवृत्त रहेगा जबतक सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे संशोधित न किया जाय या वापस न लिया जाय ।

(ख) जहाँ कोई सरकारी सेवक निलंबित किया गया हो अथवा निलंबित किया गया समझा गया हो (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) तथा उस निलम्बन के दौरान उसके विरूद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो तब उसे निलंबित करने हेतु सक्षम प्राधिकार, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलेखित किये जायेंगे, यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक का ऐसी कार्यवाहियों में से सभी या किसी की समाप्ति तक निलंबित रहेगा ।

ग) इस नियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया कोई निलम्बनादेश किसी भी समय, उसी प्राधिकार द्वारा संशोधित किया जा सकेगा या वापस लिया जा सकेगा जिसने या जिसके अधीनस्थ प्राधिकार ने ऐसा आदेश पारित किया हो ।

(7) निलंबनादेश के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर आरोप पत्र गठित कर दिया जायेगा जिसके नहीं होने पर तीन माह की समाप्ति पर निलंबनादेश वापस लिया जायेगा जबतक कि निलंबनादेश निर्गत करनेवाला प्राधिकार आरोप-पत्र के गठित किये जाने में विलम्ब के कारणों को अभिलेखित करते हुए अगले चार माह तक के लिये निलंबन को नवीकृत करने संबंधी आदेश पारित न करे:

परन्तु यह कि विस्तारित चार माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यदि आरोप पत्र गठित नहीं किया जाता है तो निलंबनादेश स्वतः वापस ले लिया गया समझा जायेगा ।

10. निलम्बन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता ।-(1) निलम्बनाधीन या निलम्बनाधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक अर्द्ध औसत वेतन के बराबर जीवन-निर्वाह-भत्ता और इसके अतिरिक्त ऐसे अर्द्ध वेतन पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगाः

परन्तु यह कि जहॉ निलम्बन की अवधि बारह माह से अधिक हो गयी हो वहां वह प्राधिकार, जिसने ऐसा निलम्बनादेश पारित किया हो, प्रथम बारह माह के पश्चातवर्त्ती किसी अवधि के लिये जीवन-निर्वाह-भत्ता की रकम में निम्नलिखित रूप में परिवर्त्तन करने में सक्षम होगाः-

(i) यदि उक्त प्राधिकार की राय में निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिये, अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी नहीं हो तो जीवन-निर्वाह भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम द्वारा बढ़ायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ii) यदि उक्त प्राधिकार की राय में निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिये, अभिलेखित किये जानेवाले ऐसे कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी हो तो जीवन-निर्वाह भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम तक घटायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(iii) मंहगाई भत्ता की दर इस नियम के उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) के अधीन, यथास्थिति, बढ़ी हुई अथवा घटी हुई अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता की दरों पर आधारित होगीः

परन्तु यह कि सरकारी सेवक केवल उसी अवधि के लिये जीवन-निर्वाह-भत्ता पाने का हकदार होगा जब निलम्बन अवधि के दौरान वह मुख्यालय में वास्तव में उपस्थित रहा हो । उससे ऐसे सरकारी सेवकों के लिये बनायी गयी उपस्थिति-पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा की जायेगी;

परन्तु यह और कि चूँकि कारावास अवधि के लिए मुख्यालय का निर्धारण नहीं हो सकता है, अतः कारावास अवधि के लिए ऐसी उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(2) कोई सरकारी सेवक उप-नियम (1) के अधीन तबतक भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा जबतक कि वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करे कि वह किसी अन्य नियोजन, कारोबार, पेशा अथवा व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है ।

(3) जहॉ निलंबन नियम-9 के उप-नियम (2) के अधीन हो वहॉ भी जीवन-निर्वाह भत्ता उपर्युक्त उप-नियम (1) के अनुसार अनुमान्य होगा । सरकारी सेवक के कारावास में रहने के कारण निलंबित

समझे जाने के फलस्वरूप जीवन-निर्वाह भत्ता का भुगतान उसके प्राधिकार-पत्र के आधार पर उसके नामांकित आश्रित को किया जा सकेगा । ऐसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा जहाँ ऐसा सरकारी सेवक कारावास में जाते समय पदस्थापित रहा हो ।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार जीवन-निर्वाह-भत्ता मंजूर करने तथा उसे बढ़ाने या घटाने के लिये सक्षम प्राधिकार होगा ।

11. निलम्बन के पश्चात् पुनःस्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की अनुमान्यता ।-(1) जब निलम्बनाधीन कोई सरकारी सेवक पुनःस्थापित किया जाता है या इस प्रकार पुनःस्थापित होता यदि निलंबन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति नहीं होती, तो अनुशासनिक प्राधिकार निम्न बातों के संबंध में विचार करेगा और विनिर्दिष्ट आदेश देगाः-

(क) यथास्थिति, पुनःस्थापन होने या वार्धक्य सेवानिवृत्ति तक निलंबन अवधि के लिये सरकारी सेवक को भुगतेय वेतन तथा भत्ता; और

(ख) उक्त अवधि कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी अथवा नहीं ।

(2) इस नियमावली के नियम-10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी निलंबित सरकारी सेवक के विरूद्ध शुरू की गयी अनुशासनिक या न्यायालीय कार्यवाही पूरी होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी हो वहाँ निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर मानी जायेगी और उसके परिवार को उस अवधि के लिये पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह निलंबित नहीं होने पर हकदार होता । ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा ।

(3) जहां अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि निलंबन पूर्णरूपेण अनुचित था तो सरकारी सेवक को, इस नियम के उपनियम (8) के उपबंधों के अधीन, वैसे पूरे वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह निलंबित नहीं किये जाने पर हकदार होता । ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगाः

परन्तु यह कि जहां ऐसे प्राधिकार की राय हो कि सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित कार्यवाही के समापन में उन कारणों के चलते विलंब हुआ है जिसके लिये सरकारी सेवक सीधे उत्तरदायी है तो वह सरकारी सेवक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा और उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा । तत्पश्चात्, वह लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे विलम्ब की

अवधि के लिये ऐसे वेतन तथा भत्ते की मात्र उतनी राशि का भुगतान सरकारी सेवक को किया जायेगा जितनी उसके द्वारा निश्चित की जाय ।

(4) इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन आनेवाले मामलों में निलंबन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी ।

(5) इस नियम के उप-नियम (2) और (3) के अधीन आनेवाले मामलों से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक को इस नियम के उप-नियम (8) तथा (9) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पूरे वेतन तथा भत्ते के उस अनुपात का, जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार विनिश्चित करे, भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह तब हकदार होता जब उसे निलंबित नहीं किया गया होता । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ऐसा विनिश्चयन सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की नोटिस देने के पश्चात् और सरकारी सेवक द्वारा, उक्त नोटिस के तामिल होने की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, उस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद दिया जायेगा ।

(6) जहां अनुशासनिक कार्यवाही या किसी न्यायालय में कार्यवाही के अंतिम निर्णय के लंबित रहते हुए निलंबन वापस लिया जाता है वहां सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यवाही पूरी होने के पहले इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश की, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वप्रेरणा से कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् समीक्षा की जायेगी और उसके द्वारा यथास्थिति, उप-नियम (3) या उप-नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार एक आदेश पारित किया जायेगा ।

(7) इस नियम के उप-नियम (5) के अधीन आनेवाले मामले में निलंबन अवधि तबतक कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि नहीं मानी जायेगी जबतक कि अनुशासनिक प्राधिकार विनिर्दिष्ट रूप से यह निदेश न दे कि यह अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये बितायी गयी अवधि होगी ।

(8) इस नियम के उप-नियम (2), उप-नियम (3) या उप-नियम (5) के अधीन भत्तों का भुगतान उन अन्य सभी शर्त्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुमान्य हों ।

(9) इस नियम के उप-नियम (3) के परन्तुक या उप-नियम (5) के उपबंधों के अधीन निश्चित किये गये पूर्ण वेतन एवं भत्ते का अनुपात न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही जीवन-निर्वाह-भत्ता से कम ।

12. अपील के परिणामस्वरूप सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनःस्थापन पर सेवा का निरूपण एवं वेतन एवं भत्ते की अनुमान्यता ।-(1) जब किसी सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो, को अपील के परिणामस्वरूप

(61)

पुनःस्थापित किया जाता है अथवा इस प्रकार पुनःस्थापित होता यदि निलंबन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति नहीं हुई होती तो अनुशासनिक प्राधिकार -

(क) यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से पूर्व निलंबन की अवधि सहित सरकारी सेवक की कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिये उसे भुगतान किये जानेवाले वेतन एवं भत्ते, और

(ख) उक्त अवधि को कर्त्तव्य पर वितायी गयी अवधि मानी जायेगी अथवा नहीं,

- के संबंध में विचार करेगा और विशिष्ट आदेश पारित करेगा ।

(2) इस नियम के उप-नियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक को निम्नलिखित मामलों में पूर्ण वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा जो उसे अनुमान्य होता यदि वह यथास्थिति ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाता-

(i) जहां अनुशासनिक प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था, को पूर्णरूप से दोषमुक्त कर दिया गया हो, अथवा

(ii) जहां इस नियमावली के अनुपालन नहीं होने के आधार-मात्र पर अपीलीय प्राधिकार द्वारा सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया हो और आगे कोई जांच किया जाना प्रस्तावित नहीं हो:

परन्तु यह कि जहां ऐसे प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित कार्यवाही के समापन में विलम्ब के लिये सरकारी सेवक ही सीधे तौर पर जबावदेह है तो वह उसे अभ्यावेदन देने एवं सुनवाई का अवसर देकर और उसके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार कर, कारणों को अभिलेखित करते हुए, निदेश दे सकेगा कि उप-नियम (7) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक को ऐसे विलम्ब की अवधि के लिये ऐसे वेतन एवं भत्ते के मात्र ऐसे अनुपात का भुगतान किया जायेगा, जो उस प्राधिकार द्वारा निश्चित की जाय ।

(3) इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन आनेवाले किसी मामले में, यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलम्बन की अवधि सहित कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी ।

(4) इस नियम के उप-नियम (2) द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न मामलों में, उप-नियम (6) एवं (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकारी सेवक को पूर्ण वेतन एवं भत्ते के ऐसे अनुपात का, जो

अनुशासनिक प्राधिकार विनिश्चित करे, भुगतान किया जायेगा जो उसे तब अनुमान्य होता जब वह यथास्थिति, ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त अथवा निलंबित नहीं किया जाता । भुगतान के अनुपात का ऐसा विनिश्चयन अनुशासनिक प्राधिकार सरकारी सेवक को प्रस्तावित अनुपात का नोटिस देकर एवं सरकारी सेवक को तामिल की गयी नोटिस की तिथि से साठ दिनों के अन्दर प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार कर करेगा ।

(5) इस नियम के उप-नियम (4) के अधीन आनेवाले मामलों में, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व उसके निलंबन की अवधि सहित कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि तबतक नहीं समझी जायगी जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकार विशेषरूप से यह निदेश नहीं दे कि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु इसे वैसी अवधि समझी जाय:

परन्तु यह कि यदि कोई सरकारी सेवक ऐसा अभ्यावेदन दे, तो ऐसा प्राधिकार विचारण के बाद यह निदेश दे सकेगा कि यथास्थिति, उसकी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित अनुपस्थिति की अवधि को सरकारी सेवक को देय और अनुमान्य किसी प्रकार की छुट्टी के रूप में परिवर्तित किया जायेगा ।

(6) उप-नियम (2) या उप-नियम (4) के अधीन भत्तों का भुगतान उन अन्य सभी शर्तों के अधीन होगा जिनके अन्तर्गत भत्ते अनुमान्य हों ।

(7) उप-नियम (2) के परन्तुक या उप-नियम (4) के अधीन विनिश्चित पूरे वेतन एवं भत्ते का अनुपात, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही नियम-10 के अधीन अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता एवं अन्य-भत्तों से कम ।

(8) पुनर्स्थापन होने पर इस नियम के अधीन किसी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार का भुगतान, यथास्थिति, बर्खास्तगी, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि के दौरान किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित रकम, यदि कोई हो, से समंजन के अधीन रहते हुए किया जायेगा । जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन एवं भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित रकम के बराबर या उससे कम होंगे वहाँ सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा ।

13. जहां सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाय वहां पुनःस्थापन, सेवा का निरूपण एवं वेतन और भत्ते की अनुमान्यता ।-(1) जहां किसी सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया

जाय और ऐसा सरकारी सेवक, आगे किसी और जांच किये बिना पुनःस्थापित कर दिया जाय, वहां कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि विनियमित कर दी जायेगी तथा न्यायालय के निदेशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, इस नियम के उप-नियम (2) या (3) के उपबंधों के अनुसार सरकारी सेवक को वेतन और भत्ते का भुगतान किया जायेगा ।

(2) (i) इस नियम के उप-नियम (3) द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न मामलों में, सरकारी सेवक को पूरे वेतन और भत्ते के उस अनुपात का भुगतान किया जायेगा जो उसे, यथास्थिति, सेवाच्युत नहीं किये जाने, बर्खास्त नहीं किये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत नहीं किये जाने अथवा ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के पूर्व निलंबित नहीं किये जाने पर अनुमान्य होता, और जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया जाय । भुगतान के अनुपात का ऐसा विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार प्रस्तावित राशि के बारे में सरकारी सेवक को नोटिस देकर और सरकारी सेवक को उपर्युक्त नोटिस तामिल किये जाने की तिथि से साठ दिनों के भीतर इस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, करेगाः

परन्तु यह कि सरकारी सेवक को इस उप-नियम के अधीन कोई भुगतान, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही नियम-10 के अधीन अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता एवं अन्य भत्तों से कम ।

(ii) सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित यथास्थिति, सेवाच्यूति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और न्यायालय के निर्णय की तिथि के बीच की अवधि नियम-12 के उप-नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित की जायेगी ।

(3) जहॉं सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर निरस्त की गयी हो, अथवा जहॉं सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति किसी न्यायालय द्वारा इस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने मात्र के आधार पर निरस्त की गयी हो और आगे कोई जांच किया जाना प्रस्तावित न हो, वहां, यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनःस्थापन की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर मानी जायेगी । फलस्वरूप उस अवधि के लिये सरकारी सेवक को पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा, जो उसे, यथास्थिति, पदच्युत नहीं किये जाने, हटाये नहीं जाने या अनिवार्य सेवानिवृत नहीं किये जाने अथवा ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के पूर्व निलंबित नहीं किये जाने पर अनुमान्य होता ।

(4) इस नियम के उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अन्तर्गत ऐसे भत्ते अनुमान्य हों ।

(5) पुनर्स्थापन होने पर, सरकारी सेवक को इस नियम के अधीन किसी राशि का भुगतान सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति और सेवा में पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि में, किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित राशि, यदि कोई हो, के समायोजन के अधीन रहते हुए होगा । जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन और भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित राशि के बराबर या उससे कम हो वहां सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा ।

भाग- V

शास्तियाँ और अनुशासनिक प्राधिकार

14. लघु एवं वृहत शास्तियाँ ।-समुचित और यथेष्ट कारणों से तथा इसमें इसके बाद यथाउपबंधित, निम्नलिखित शास्तियाँ, सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकेंगी, यथाः-

लघु शास्तियाँ-

(i) निन्दन;

(ii) प्रोन्नति की रोक;

(iii) लापरवाही या आदेशोल्लंघन के कारण सरकार को उसके द्वारा पहुंचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसके वेतन से पूरी या आंशिक वसूली;

(iv) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;

(v) वेतनवृद्धियों की रोक;

वृहत शास्तियाँ-

(vi) इस नियम के खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाय, कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अवनति, इन निदेशों के साथ भी कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं;

(vii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में (जिससे वह अवनत किया गया हो) प्रोन्नति